



भारत सरकार / GOVT. OF INDIA

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग / MINISTRY OF FINANCE, DEPTT. OF REVENUE

कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु व सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क - जयपुर

OFFICE OF THE PR. COMMISSIONER, CENTRAL GOODS AND SERVICES TAX & CENTRAL EXCISE - JAIPUR

मुख्यालय: नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टैच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर- 302005 (राज.)

HQ : NEW CENTRAL REVENUE BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR - 302005 (RAJ.)

फोन नं. : 0141- 2385359

स्थापना शाखा

फैक्स नं. : 0141- 2385222

स्थापना आदेश संख्या - 14 / 2022

दिनांक : 07.07.2022

प्रधान आयुक्त, सीजीएसटी आयुक्तालय, जयपुर के आदेश फा. सं. II-39(04)Cus/Vig/JPR/21/669 दिनांक 06.07.2022 एवं संयुक्त आयुक्त (सतर्कता), सी.जी.एस.टी. आयुक्तालय, जयपुर के पत्र फा. सं. II-39(04) Cus/Vig/JPR/2021/673 दिनांक 07.07.2022 के संदर्भ में निरीक्षक श्रेणी में निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के आगे दर्शाये स्थान अनुसार तुरंत प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है-

क.सं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम (श्री)	कहां से	कहां को
1	Kamlesh Kumar Meena, Inspector	On revocation of suspension vide order dt. 06.07.2022 (w.e.f. 11.07.2022)	Legal, CGST & CX (H), Jaipur

उक्त आदेश श्रीमान प्रधान आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर की संस्वीकृति पश्चात जारी किया जा रहा है।

- ह. -

(ज्ञानेन्द्र कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त आयुक्त (का. एवं सत.)

दिनांक : 07.07.2022

फा.सं.: II-03(03)स्था./जेपीआर/निरी/2019/पार्ट/11111

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर जोन, जयपुर।
2. संयुक्त आयुक्त (सी.सी.ओ.) सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क, जयपुर जोन, जयपुर।
3. संयुक्त/अपर आयुक्त(विधि), सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय, जयपुर।
5. अधीक्षक (सतर्कता), सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय, जयपुर।
6. व्यक्तिगत प्रति/सेवापुस्तिका/गार्ड फाइल
7. विभागीय वेबसाइट <https://cgstjaipur.gov.in/> पर अपलोड हेतु।

ज्ञानेन्द्र कुमार त्रिपाठी
06/07/22

संयुक्त आयुक्त (का. एवं सत.)